



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272670  
CG-DL-E-18052026-272670

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2437]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948

No. 2437]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2026

का.आ. 2529(अ).—केंद्रीय सरकार, चाय नियम, 1954 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को चाय बोर्ड के सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती है और भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 944, तारीख 17 मार्च, 1954 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 4, 5 और 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडकोसर्व, तमिलनाडु सरकार	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
10.	श्री जयराम बिस्वकर्मा	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय बागानों और उद्यानों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना।”

[फा. सं. के-57023(17)/1/2021-बागान क]

नितिन कुमार यादव, अपर सचिव

टिप्पण – मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. संख्या 944, तारीख 17 मार्च, 1954 द्वारा प्रकाशित की गई और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 5427 (अ), तारीख 16 दिसंबर, 2024 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2026

**S.O. 2529(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Tea Board, for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry, number S.R.O. 944, dated the 17<sup>th</sup> day of March, 1954, namely:—

In the said notification, for serial numbers 4, 5 and 10 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall respectively be substituted, namely: -

4.	Chief Executive Officer, INDCOSERVE, Government of Tamilnadu	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
5.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Agriculture), Government of Himachal Pradesh.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
10.	Shri. Jairaj Biswakarma.	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.”.

[F. No. K-57023(17)/1/2021-PLANT A]

NITIN KUMAR YADAV, Addl. Secy.

Note. – The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* S.R.O. number 944, dated the 17<sup>th</sup> day of March, 1954, and last amended *vide* notification number S.O. 5427 (E), dated the 16<sup>th</sup> December, 2024.